तत्काल
विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्याः डी.ई.–25 (13)/323/वि.कार्य/2018–19/ 1501-02 दिनाँक – 21.08.19

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054।

विषयः– विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 19 दिनांक 22.08.2019 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 19, जो कि दिनाँक 22.08.2019 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

भवदीय,

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

(एस.सी. मीणा)
उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

संख्याः डी.ई.–25 (13)/323/वि.कार्य/2018–19/ 1501-02 दिनाँक – 21.08.19
प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054 (150 प्रतियाँ)।

(एस.सी. मीणा)
उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

O/C

Scanned by CamScanner

विभाग का नाम :– शिक्षा विभाग

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 19

दिनाँक :– 22.08.2019

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री जगदीश प्रधान

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नियमित अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं,	दिल्ली के राजकीय विद्यालयों में नियमित अध्यापकों के 64031 पद स्वीकृत है।
ख)	इनमें से कितने पदों को नियमित अध्यापकों द्वारा तथा कितने पदों को अनियमित अध्यापकों द्वारा भरा गया है,	इनमें से 35916 पदों को नियमित अध्यापकों द्वारा और 20928 पदों को अतिथि शिक्षकों व सर्व शिक्षा अभियान द्वारा अनुबंधित शिक्षकों द्वारा भरा गया है।
ग)	अध्यापकों के कुल कितने पद रिक्त हैं,	अध्यापकों के कुल 7187 पद रिक्त हैं।
घ)	दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ऐसे कितने स्कूल हैं, जहाँ प्रधानाचार्यों की तैनाती नहीं की गई है,	दिल्ली के सभी स्कूलों में प्रधानाचार्यों की तैनाती की गई है। हालाँकि, 724 स्कूलों में प्रधानाचार्य का कार्य उप प्रधानाचार्य हेड ऑफ स्कूल के रूप में देख रहे हैं। जहाँ प्रधानाचार्य नहीं है वहाँ प्रधानाचार्य की भर्ती के लिए सघ लोक सेवा आयोग को आग्रह किया गया है।
ङ)	दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उर्दू एव पजाबी भाषा के लिए नियमित शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं,	दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उर्दू भाषा के लिए 1105 व पजाबी भाषा के लिए 1067 नियमित शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं।
च)	इनमें से कितने पद अनियमित शिक्षकों द्वारा भरे गये है तथा कितने पद खाली पडे हैं,	उर्दू भाषा के 297 व पजाबी भाषा के 123 पद अनियमित शिक्षकों द्वारा भरे गये हैं। उर्दू भाषा के 691 व पंजाबी भाषा के 807 पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को आग्रह किया गया है।
छ)	क्या यह सत्य है कि पजाबी एव उर्दू भाषा के अध्यापकों की भर्ती के लिए सी–टैट की परीक्षा में गणित की परीक्षा भी ली जाती है,	सी–टैट की परीक्षा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती है। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम व इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही तय करता है।
ज)	यदि हाँ, तो भाषा पढाने वाले अध्यापक के लिए गणित विषय की परीक्षा लिए जाने का क्या कारण है,	उपरोक्त (छ) के आलोक में लागू नहीं होता है।
झ)	क्या यह भी सत्य है कि उपलब्ध शिक्षकों में से भी बहुत से शिक्षकों को स्कूलों में पढ़ाने की बजाए शिक्षा विभाग में प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है, और	शिक्षा निदेशालय में शिक्षा संबंधी विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। यह कार्य सामान्यतः प्रशासनिक अनुभव के न होकर शैक्षिक संबंधी अनुभव वाले होते है, इसलिए विभिन्न परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग लिया जाता है।
ञ)	यदि हाँ, तो ऐसे अध्यापकों की संख्या कितनी है?	

DDE (LW)
Dte. of Education
G.N.C.T. of Delhi

Scanned by CamScanner